न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0	—	221/2013
प्रविष्टि दिनांक	—	30.8.2019
निर्णय दिनांक	—	13.3.2020

उनवान

कल्याण पुत्र भैरू जाति मीणा निवासी ग्राम झालरा तहसील व जिला टोंक

— वादी

बनाम

1. कल्याणी पुत्री भैरू पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. तहसीलदार टोंक
3. उप पंजीयक टोंक
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक, टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री पवन कुमार जैन — वकील वादी

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

निर्णय

दावा बाबत— घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि आराजी ख.न. 107, 109, 144, 145, 146, 147, 148, 390, 861, 871 कुल किता—10, कुल रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम झालरा तहसील टोंक मे स्थित है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी नं. 1 के पिता भैरू जाति मीणा तथा उसके द्वारा छोडी हुई है। भैरू पुत्र जग्गा के देहांत होने के पश्चात कानून विरूद्ध जाकर सम्पूर्ण भूमियों की खातेदारी तन्हा वादी के नाम दर्ज करने के बजाय वादी के नाम 1/2 तथा शेष 1/2 प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि पक्षकारान मीणा जाति के है तथा मीणा जाति में पुत्री को पिता की विरासत का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि इस जाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी को भूमि आराजी ख.न. 107, 109, 144, 145, 146, 147, 148, 390, 861, 871 कुल किता—10, कुल रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम झालरा तहसील टोंक सम्पूर्ण भूमियों का रिकार्डेड खातेदार एंव काबिज काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में आवश्यक संशोधन किया जावे। प्रतिवादी नं. को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए दस्तावेजात—जमाबन्दी, जमाबन्दी खातेदारी भू—प्रबन्ध विभाग आदि पेश किये गये।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। कई अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादी नं. 1 के उपस्थित नहीं होने पर न्यायहीत में एक तरफा कार्यवाही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

वादी ने अपने पक्ष में साक्ष्य स्वरूप स्वंय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभिभाषक ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया जिसका यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है तथा दौराने बहस वादी अभिभाषक ने निम्न नजीरें पेश की

RBJ(23) 2016 P.36-41

RRD July,2006 P.464-66

वादी अपने वादपत्र के मध्यम से वादग्रस्त भूमि आराजी ख.न. 107, 109, 144, 145, 146, 147, 148, 390, 861, 871 कुल किता–10, कुल रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा जो वाके ग्राम झालरा तहसील टोंक मे स्थित है, सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम खातेदारी करवाना चाहता है। जिसके पीछे उसका तर्क है कि उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी नं. 1 के पिता भैरू जाति मीणा तथा उसके द्वारा छोडी हुई है। भैरू पुत्र जग्गा के देहांत होने के पश्चात कानून विरूद्ध जाकर सम्पूर्ण भूमियों की खातेदारी तन्हा वादी के नाम दर्ज करने के बजाय वादी के नाम 1/2 तथा शेष 1/2 प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि पक्षकारान मीणा जाति के है तथा मीणा जाति में पुत्री को पिता की विरासत का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि इस जाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही होने से उसका पक्ष नहीं सुना गया है। वादी ने एसा कोई कानून न्यायालय में पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि मीणा जाति जो अनुसूचित जनजाति में आती है, पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। वादी द्वारा दावा अत्यन्त विलम्ब से पेश किया गया है जबकि उसे नामांतकरण खुलते ही दावा पेश किया जाना चाहिऐ था जो उसके द्वारा नहीं किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में दावा पेश नहीं किया है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हिस्से की भूमि बेंक को रहन रख रखी है। इस प्राकर वाद स्वीकार किया जाना बेंक हित के विरूद्ध होगा। वादी ने बेंक के ऋण राशि जमा कराने संबंधित बिन्दु का वादपत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि की प्रतिवादी नं. 1 सह खातेदार होने से उसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। उक्त कारणों से वादी का वाद भारहीन एंव सारहीन हो गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

फलतः दावा वादी बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि आराजी ख.न. 107, 109, 144, 145, 146, 147, 148, 390, 861, 871 कुल किता–10, कुल रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम झालरा तहसील टोंक भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

प्राथमिक डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री नित्या के0 आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

छोटी पत्नी रामफूल पुत्री स्व0 मूलचन्द जाति माली निवासी वाटर पम्प हाउस के पास चिडियो की बाडी टोंक

– वादिया

बनाम

1. मोहन पुत्र स्व0 मूलचन्द जाति माली निवासी मालियों के मंदिर के पास पुरानी टोंक
2. गुलाब पत्नी प्रेम पुत्री स्व0 मूलचन्द जाति माली निवासी सईदाबाद वार्ड नं0 45 टोंक
3. कालू पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी सिविल लाईन रोड अशीष हॉस्पिलट के पास टोंक
4. तहसीलदार टोंक

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत– उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज तकासमा आराजी व स्थाई निपेधाज्ञा

दावा नं0 164/2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

फलतः दावा वादी बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि आराजी ख.न. 107, 109, 144, 145, 146, 147, 148, 390, 861, 871 कुल किता–10, कुल रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम झालरा तहसील टोंक भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19/02/2021 को जारी किया गया।

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

मोहर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	00	00
मीशान			मिजान		

नोट–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।